न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 29 / 2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.श्रीमति लक्ष्मीदेवी पुत्री गणेशाजी, पत्नि हकमारामजी, जाति माली, निवासी सांथू,हाल–सियाणा, तहसील व जिला जालोर(राज.) 2.श्रीमति उजीदेवी पुत्री गणेशाजी,पत्नि खुमाराम, जाति माली, निवासी सांथू,हाल–गोल उम्मेदाबाद, तहसील व जिला जालोर(राज.) 3.श्रीमति अणसीदेवी पुत्री गणेशाजी, पत्नि सुखराम जाति माली, निवासी सांथू,तहसील जालोर, जिला जालोर (राज.) हाल–गणपति वार्ड वलारपुर (महाराष्ट) 4.श्रीमति पिंकीदेवी पुत्री गणेशाजी, पत्नि वागाराम,जाति माली,निवासी सांथू,हाल–सियाणा,तहसील व जिला जालोर(राज.) 5.श्रीमति माफीदेवी पुत्री गणेशाजी, पत्नि सवाराम,जाति माली, निवासी सांथू,हाल–सियाणा,तहसील व जिला जालोर (राज.) 6.श्रीमति आशीदेवी उर्फ आशा,पुत्री गणेशाजी, पत्नि जवाना, निवासी सांथू,हाल–सियाणा, तहसील व जिला जालोर (राज)		राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जालोर

24/6/15
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर,दिनांक 19.6.2018(ना.क.सं. 1762)

उपस्थिति :-
1.श्री राजेशकुमार ,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.6.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांथू के खसरा नम्बर 259,262,3232,3233 कुल रकबा 1.89 हेक्टर में अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजी में अपीलांट्स प्रत्येक का 1/10 हिस्सा हो नजर अन्दाज करते हुए महेन्द्रकुमार वल्द लच्छाराम ने अपना 1/4 हिस्सा खरीदसुदा होना बताते हुए विकमसिंह वल्द सुमेरसिंह राजपूत व अरविन्द कुमार पुत्र हिम्मतमल,कौम जैन,निवासी आहोर को उप पंजीयक कार्यालय जालोर में बैचान दस्तावेज कमांक 201803104102349 दिनांक 31.5.2018 को आधार मानते हुए नामान्तरकरण सं. 1762 दिनांक 19.6.2018 को तहसीलदार जालोर ने स्वीकृत कर किया। अपीलांट्स की पैतृक व पुश्तैनी आराजी मौजा सांथू अपीलाधीन आराजी में अपीलांट्स प्रत्येक का 1/10 हिस्सा पुश्तैनी आता है तथा अपीलांट्स की बिना जानकारी के बाले बाले पूर्व खातेदार महेन्द्रकुमार ने अपना 1/4 हिस्से की आराजी होना बताकर विकमकुमार व अरविन्द कुमार को बैचान दस्तोज के आधार नामान्तरकरण अधिक आराजी का स्वीकृत कराने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।अपीलांट्स मृतक गणेशा की पुत्रियां है व मृतक गैरा की भी पुत्रियां है तथा पूर्व खातेदार भूरा,डाया,देवा, छगना पिसरान् गणेशा भी मृतक गणेशा व मृतक गैरा के पुत्र होने से अपीलाधीन आराजी में प्रत्येक वारिस का 1/10 हिस्सा अपीलाधीन आराजी में आता है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 4.7.2018 को उस समय हुई जब अपीलांट सं.4 पिंकी देवी पटवारी हल्का के पास अपने हिस्से की जानकारी मांगने गई तब पटवारी हल्का ने अपीलांट्स का हिस्सा न होने की जानकारी देने से हुई। उसी रोज तहसील कार्यालय जालोर से नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर अपील पेश की जो अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1762 दिनांक 19.6.18को शून्य करार फरमावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ शपथपत्र व फहरिस्त के साथ नामान्तरकरण सं.1762की प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी

जालोर (राज.)

किया व रैकार्ड तलब किया गया। अपीलांट्स वकील ने दिनांक 23.7.18को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र ,शपथपत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब,शपथपत्र पेश नही किया गया है। अतःअपीलांट्स की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के वकील ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस दोहराया व बताया कि मौजा सांथू के खसरा नम्बर 259,262,3232,3233 कुल रकबा 1.89 हेक्टर में अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजी में अपीलांट्स प्रत्येक का 1/10 हिस्सा है ,उसमें महेन्द्रकुमार वल्द लच्छाराम ने अपना 1/4 हिस्सा खरीदसुदा बताते हुए उक्त 1/4 हिस्से को विक्रमसिंह वल्द सुमेरसिंह व अरविन्दकुमार पुत्र हिम्मतगल कौम जैन निवासी आहोर को दस्तावेज सं.201803104102349 दिनांक 31.5.2018बैचान कर दिया जिसका म्युटेशन सं. 1762 दिनांक 19.6.18को तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत किया गया है जो अधिक भूमि का किया गया है,अतःअपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.1762दिनांक 19.6.2018को शून्य करार फरमावे।इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1762 में गत खसरा नम्बर 259,262,3232 व 3233 कुल रकबा 1.89 हेक्टर में महेन्द्रकुंमार पुत्र लच्छाराम ,1/4हिस्सा,कौम माली, निवासी किसान छात्रावास के पास, हेड पोस्ट ऑफिस जालोर खातेदार ,शेष बदस्तूर अंकित है।महेन्द्रकुमार द्वारा उक्त भूमि का बैचान श्री विक्रमसिंह व अरविन्दकुमार को दिनांक 31.5.18 को किया गया है जो सही है और उक्त दस्तावेज के आधार पर खरीददार विक्रमसिंह व अरविन्द कुमार के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश कर मौजा सांथू के नामान्तरकरण सं. 1762 दिनांक 19.6.18 को शून्य करार कर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण भरने का अनुतोष चाहा है। मौजा सांथू के नामान्तरकरण सं. 1762दि. 19.6.18का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 259,262,3232,3233 कुल रकबा 1.89 हेक्टर में से 1/4 हिस्से की भूमि महेन्द्रकुमार के नाम खातेदार के रूप में

जालोर (राज.) 24/6/18

दर्ज थी ,महेन्द्रकुमार ने अपने उक्त 1/4 हिस्से की भूमि दस्तावेज दिनांक 31.5.18 से विक्रमसिंह व अरविन्दकुमार को बैचान करने से तहसीलदार जालोर द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण विक्रमसिंह व अरविन्दकुमार के नाम दिनांक 19.6.18 को स्वीकृत किया गया है , इसमें कही पर अपीलांट्स के पिता गणेशा का नाम अथवा उनकी पुत्रियों का नाम खातेदार के रूप में अंकित नही है ।अतः उक्त नामान्तरकण सही पारित किया गया है। अपीलांट्स उक्त नामान्तरकरण में अपना 1/10 हिस्सा होना बताते है जो 1/10 हिस्सा किस प्रकार होता है,अपील में नही दर्शाया गया है। दोयम, नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल होती है इससे अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है ।अतःअपीलांट्स की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 19.6.2018(नामान्तरकरण सं.1762) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

24/6/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 24.6.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

24/6/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर